

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज)


क्रमांक : 275/25

दिनांक 3-10-25

- :: निर्णय :: -

प्रार्थी श्री काशीलाल पुत्र/पुत्री/पति बल्लु ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मदनाखेड़ी पटवार मण्डल पाली तहसील छबड़ा जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् 2073-76 के खाता संख्या 70/23/186 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति कसिया/काल्या अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से काशीलाल अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी पाली से करवाने पर पटवारी ने काल्या के बजाय काशीलाल करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में काल्या के बजाय काशीलाल करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम मदनाखेड़ी के खाता संख्या 70/23/186 में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जाति काल्या के स्थान पर सम्मानजनक रूप से काशीलाल दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
(Land Record Officer)  
छबड़ा जिला बारां  
उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारां)